

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)**

-:: सीधी भरती हेतु विज्ञापन ::-

क्रमांक 39012

/स्था./प्र.अ./18

नया रायपुर, दिनांक 20/08/2018

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-07/2016/19/स्था.-3 दिनांक 27.06.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर विभाग में नियमित स्थापना के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर "तृतीय श्रेणी" (राजस्व संभाग सरगुजा/बस्तर को छोड़कर) के रिक्त पदों पर सीधी भरती हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नया रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं :-

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है -

- | | |
|--|---|
| 1. परीक्षा की तिथि (संभावित तिथि) | - 07 अक्टूबर 2018 (रविवार) |
| 2. परीक्षा का समय | - पूर्वान्ह 10.00 बजे से 1.15 बजे तक |
| 3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | - 20.08.2018 (सोमवार) |
| 4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि | - 11.09.2018 (मंगलवार), रात्रि 11.59 बजे तक |
| 5. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि | - 01.10.2018 (सोमवार) |
| 6. परीक्षा केन्द्र : | - रायपुर |

नियमित स्थापना के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर के तृतीय श्रेणी (राजस्व संभाग सरगुजा/बस्तर को छोड़कर) के जिलेवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार कुल संख्या (1)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से वर्गवार मुक्त पदों की संख्या (2)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या (3)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से श्र.पू. सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (4)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (5)					
			UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	U	S	T	S	O	B	C	कुल	U	S	T	S	O	B	C	कुल
1	रायपुर	सहायक	2	1	1	-	4	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बिलासपुर	प्रोग्रामर	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग			3	1	1	-	5	3	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

यह नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी ।

नियम एवं शर्तें :-

(1) वेतनमान का विवरण -

स.क्र.	पद का नाम	सातवां वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स एवं लेवल	
		वेतनमान	लेवल
1	सहायक प्रोग्रामर	38100-120400	9

(2) शैक्षणिक योग्यता -

सहायक प्रोग्रामर पद हेतु :-

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईंस या सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

गणित, भौतिकी/सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि साथ ही 1 वर्षीय पी.जी.डी.सी.ए. एवं किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से 1 वर्ष का अनुभव।

(3) पात्रता की शर्तें -

- (i) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (ii) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (iii) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 616/922/1 (3)/74 दिनांक 18.09.1974 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट रहेगी। किन्तु उन्हें नियुक्ति के पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- (v) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरे। परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(4) आयु सीमा :-

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार समस्त छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 23.01.2017 में दिये गये निर्देशानुसार)

उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- (4)(एक)(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- (ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-7-26-93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- (iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (iv) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण :-** 'छंटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- (vi) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 दिनांक 11.01.2017 के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष के शिथिलिकरण का प्रावधान केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला के लिए लागू होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/02/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (viii) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (ix) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयुसीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- (4) (दो) (i) आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) बिंदु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

- (2) बिंदु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक 4 (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
- (iii) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।
- (iv) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (v) **काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र :-** आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों और अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अभाव में उम्मीदवारी को अपूर्ण मानकर अस्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अम्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।
- (v)(अ) जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।
- (ब) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।
- (स) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अलावा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी।
- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका-6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भाँति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
- (द) विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- (इ) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (फ) उपरोक्त कंडिका 4 एक (i), 4 एक (ii), 4 एक (iii), 4 एक (iv), 4 एक (v), 4 एक (vii) एवं 4 एक (viii) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (य) कंडिका-4(एक) (ix) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।
- (र) कंडिका-4 दो (i) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।
- (ल) कंडिका-4 दो (ii) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

(5) चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 04.12.2012 के निर्देशानुसार रखा गया है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु किसी भी संवर्ग में पदों की सीधी भरती के समय प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जाएगी। पदों की गणना केवल पूर्णांकों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात् पदों की संख्या की गणना में दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया जाएगा।
3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नया रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार मेरिट सूची उपलब्ध करायी जावेगी।
4. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर को होगा।
6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
9. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर/रायपुर राजस्व संभाग के अधीनस्थ जिलों के लिए है। अतः चयनित उम्मीदवारों को बिलासपुर/रायपुर राजस्व संभाग के अंतर्गत ही रिक्त पदों के विरुद्ध ही उनकी पदस्थापना की जावेगी।
10. चयन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम 2016 के तहत सीधी भरती से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर होगी। तत्पश्चात् योग्य पाये जाने पर नियमित किया जायेगा।

12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियों को काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । मूल प्रमाण पत्रों को भी अपने साथ लाना होगा ।
13. सीधे प्राप्त हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।
14. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है ।
15. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनका आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेखित करना अनिवार्य है । प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा ।
17. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है । आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।
18. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा ।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे ।
20. प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी ।
21. व्यापम द्वारा ऑनलाईन एडमिट कार्ड जारी किया जावेगा । डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा ।
22. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं । अतः Online आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं । काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

परीक्षा निर्देश – व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान स्केन करने एवं पोस्ट करने की तिथि, ऑनलाईन पेमेंट की विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाईन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारी दी गई है ।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग

नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
14/8/18